प्रेस नोट थाना सिंधौली

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

<u>सराहनीय कार्य दिनांक 28.04.2026</u>

थाना सिंधौली पुलिस द्वारा आत्महत्या प्रकरण का सफल अनावरण, युवती को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर महोदय, श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम व वांछित/ संदिग्ध व्यक्ति/ वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिंधौली द्वारा 01 वाछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 27.04.2026 को वादी श्री वंधुलाल पुत्र मंगली निवासी कस्बा सिंधौली नई मार्केट पीरताला रोड थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाने पर लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 26.04.2026 को प्रातः करीब 10:00 बजे उनकी पुत्री मधु उम्र करीब 19 वर्ष द्वारा बिजली का तार पकड़कर आत्महत्या कर ली गई है। उक्त सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-180/26, धारा 108/351(3) बी.एन.एस बनाम 1. शान मोहम्मद पुत्र पप्पू निवासी ग्राम मूडा हारिस थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर 2. पप्पू पुत्र अज्ञात निवासी मुडिया मोड़ थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री सचिन कुमार द्वारा प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्त शान मोहम्मद का वादी के घर पूर्व में बढ़ई कार्य के दौरान आना-जाना था, जिससे वादी की पुत्री से उसका संपर्क हो गया था। परिजनों द्वारा उक्त संपर्क का विरोध किया गया तथा वर्ष 2025 में मधु का विवाह सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कराया गया, किन्तु वह ससुराल नहीं गई। इसी बीच पुनः अभियुक्त से संपर्क होने एवं मनोनुकूल विवाह न होने से क्षुब्ध होकर तथा अभियुक्त द्वारा विवाह हेतु दबाव बनाए जाने के कारण युवती द्वारा आत्महत्या कर ली गई। विवेचना के क्रम में दिनांक 28.04.2026 को समय करीब 10:30 बजे मैन रोड से पूर्व प्रधान अरुण दीक्षित के घर की ओर जाने वाले मार्ग से अभियुक्त शान मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य विधिक एवं विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण –</u>

शान मोहम्मद पुत्र पप्पू निवासी ग्राम मूडा हारिस थाना सिंधौली जिला शाहजहाँपुर उम्र 23 वर्ष

<u>पंजीकृत अभियोग –</u>

मु0अ0स0 -180/26 धारा-108/351(3) बी.एन.एस थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर ।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम –</u>

1. उप निरीक्षक श्री सचिन कुमार थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर ।
2. हे0का0 62 होशियार स थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर।
3. का0 2272 राहुल कुमार थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर।